

रेशम संचालनालय म0प्र0 भोपाल

(लोअर बेसमेंट सतपुड़ा भवन)

क्रमांक:- रेसं/स्था./6/3/(दो)/2011/

1203

भोपाल, दिनांक:- 23.07.2025

विज्ञापन

दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित पदों में से भृत्य एवं आपरेटिव्ह के रिक्त पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए निम्नांकित आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दिये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 07/08/2025 कार्यालयीन समय 6.00 सांयकाल आवेदन पत्र आयुक्त, रेशम संचालनालय म.प्र., लोअर बेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल पिन:-462004 के पते पर प्रेषित करें।

दिव्यांगजनों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियाँ				निर्धारित योग्यता	वॉक इन- इंटरव्यू निर्धारित तिथि
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्टाफी	ऑटिज्म, बौद्धिक, दिव्यंगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	तृतीय	लेवल -6 25300- 80500	01			01	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान/ कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि।	वॉक- इन- इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को उनके ई-मेल आईडी पर पृथक से दी जावेगी
2	फील्डमेन	तृतीय	लेवल -4 19500- 62000		01			माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी या 12 वीं (10+2) शिक्षा पद्धति से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण।	
3	वाहन चालक	तृतीय	लेवल -4 19500- 62000				01	आठवी कक्षा उत्तीर्ण तथा भारी एवं हल्के वाहन चलाने का लायसेंस।	
4	सहायक ग्रेड-3	तृतीय	लेवल -4 19500- 62000	01	01			माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेंडरी (10+2 पैटर्न) परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल भोपाल या म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है:- (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा	

								मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पत्रोपधि। (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपधि। (तीन) डी ओ इ ए सी सी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।	
5	भृत्य	चतुर्थ	लेवल -1 15500- 49000	01	01	-	-	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण	
6	आपरेटिव्ह	चतुर्थ	लेवल -2 16100- 50900	01	01	-	-	1.आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण	

शर्त:-

- 1- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- 2- समस्त प्रमाण -पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाये।
- 3- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/13 दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी का न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है। अनु. जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़वर्ग शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों एवं निःशक्तजनों/महिलाओं (अनारक्षित /आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा की छूट होगी।
- 4- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3 एक भोपाल दिनांक 19 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- 5- आवेदक को वॉक -इन इटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
- 6- निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडीकल आफिसर के माध्यम से जारी किया गया ही मान्य होगा।
- 7- डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र/ जाति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना मान्य होगा।
- 8- वॉक -इन- इटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 9- अधूरे अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा।
- 10- भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में रेशम संचालनालय से प्राप्त की जा सकती है।
- 11- जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया को उसे उक्त पदों के आयोज्य माना जायेगा।
- 12- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर पूर्ण करता है।

- 13— आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती हैं अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
- 14— मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न देते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण दिये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण प्राप्त नहीं होगा।
- 15— समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिया जायेगे। अभिलेखों में कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये वे भी निरस्त कर दिया जावेगा साथ ही ऐसे विवरण दिये गए जिसमें ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाई गई हो जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
- 16— दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को उनके लिये जिला स्तर पर मेडीकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात कि वे वास्तव में विकलांग हैं जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेगे।
- 17— दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निशक्तता का 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
- 18— शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवित संतान हैं जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। यदि एक बच्चा जीवित है और यदि बाद में प्रसव में दो या अधिक संतान जन्म लेती हैं तो उसे अयोग्य माना जावेगा।
- 19— म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ज्ञापन-सी-3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रदान की जाती है। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायफंड के रूप में देय होंगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
- 20— शासकीय या अर्द्धशासकीय विभाग/निकाय में कार्यरत उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण के समय पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र या धारणाधिकार स्वीकृति का पत्र या त्यागपत्र स्वीकृति का पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उम्मीदवार द्वारा इस चयन के लिए मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने नियोक्ता से ली गई अनुमति का पत्र प्रस्तुत करने पर, सशर्त कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा, परन्तु वेतन का आहरण अनिवार्य अभिलेख को प्रस्तुत करने तक लंबित रखा जाएगा।
- 21— नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।

आयुक्त
रेशम संचालनालय म.प्र.
भोपाल

आवेदन का प्रारूप पद का नाम:

प्रति,

आयुक्त महोदय
रेशम संचालनालय म.प्र.,
लोअर बेसमेंट, सतपुडा भवन,
भोपाल, म.प्र.- 462004।

आवेदक का
नवीनतम
रंगीन फोटो

- 1- आवेदक का पूरा नाम:- _____
- 2- आवेदक के पिता /पति का नाम:- _____
- 3- आवेदक के माता का नाम:- _____
- 4- आवेदक की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र/
हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्ष माह दिन
- 5- दिनांक 28/2/2025 को आयु वर्ष माह दिन
- 6- आवेदक का लिंग (पुरुष/महिला/अन्य) _____
- 7- दिव्यांगता का डिजिटल प्रमाण संबंधित जिले के _____
शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी हो
- 8- दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत _____
- 9- आवेदक की जाति _____
- 10- आवेदक का यदि विवाहित हो तो विवाह का प्रमाण -पत्र _____
अनुसार विवाह की दिनांक
- 11- जीवित संतानों का विवरण (जन्म तिथि सहित) _____
- 12- वर्तमान पता/पिनकोड _____
_____ पिनकोड _____
- 13- स्थाई पता/पिनकोड _____
_____ पिनकोड _____
- 14- पत्राचार कर पता/पिनकोड _____
_____ पिनकोड _____
- 15- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन _____
क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम

16- संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण

17- शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएँ

(प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

18- अनुभव यदि हो तो उसका विवरण:-

19- अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण:-

20- ई-मेल आई डी-

21- मोबाइल नम्बर 1 ----- 2 -----

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः कोई भी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जाये।

आवेदक हस्ताक्षर